म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	अ त
	वकील फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4/6/19 को पेश हो।	
	वकील फरीकैन उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली के साथ नजारत से हटाकर अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
22 / 17	अस्थायी निषेधाज्ञा	26.07.17	04.06.19

बर्फी पत्नि शिवचरण उर्फ लल्लू आयु 50 साल जाति जोगी निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थीया

बनाम

1. महेश
2. शिवचरण पि0 रामजीलाल जाति जोगी निवासी महमदपुर तह0 सपोटरा जिला करौली।
3. उप पंजीयक कार्यालय कुडगांव जरिये नायब तहसीलदार कुड़गांव।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः– श्री विष्णु शर्मा वकील प्रार्थीया।
श्री शेरसिंह वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम महमदपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 389 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 411 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 है। उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 सभी शामिल म`सल काश्त कर फसल का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन अब शामिल मे फसल काश्त करना सम्भव नही रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ता 2 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है जो मुझ प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को जबरन अवैध रूप से हड़पना चाहते है तथा अप्रार्थीगण मे दिल मे बदनियति आ चुकी है। दिनांक 12.07.2017 को प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर फसल काश्त करने के उद्देश्य से सुबह 7–8 बजे करीबन साफ सफाई कर रही थी तो अप्रार्थी सं0 1 व 2 मौके पर आ गये और आते ही प्रार्थीया से एलानिया धमकी देकर कहा कि तुम्हे शामिल मे अब फसल काश्त करने नही देगें। तुम अपेन हिस्से की भूमि को हमारे नाम करादों। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को काफी समझाया और कहा कि दर्ज आराजी मे मुझ प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 है हम सभी तहसील कार्यालय चलकर वैधानिक रूप से बंटवारा करवांले और राजस्व रिकार्ड मे खाता व लगान अलग से कायम कराले। इस पर अप्रार्थीगण बौखला गये प्रार्थीया से मौके पर आमादा फिसाद हो गये और एलानिया धमकी देकर कहा कि तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल करके ही रहेगें तथा तुम्हारे हिस्से मे आयी जमीन को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय करके रहेगें। इसलिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 3 तथा 4 का प्रकरण मे राज्य हित निहित नही होने के कारण जवाव अपेक्षित नही है। अप्रार्थी सं0 1 तथा 5 नें जरिये वकील उपस्थित न्यायालय होकर जवाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 411 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 2 का कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा महमदपुर

Scanned by CamScanner

तहसील सपोटरा मे स्थित है जिसमे मुझ जवाबदार का हिस्सा 1/3 है। 1/3 हिस्सा अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 1 व 2 मे मध्य काफी समय से बाहमी बंटवारा कर रखा है और बाहमी बंटवारा अनुसार मुझ अप्रार्थी सं0 1 जवाबदार अपने हिस्से 1/3 पर फसल काश्त का लाभ लेता था लेकिन अप्रार्थी सं0 1 को घरू काम के वास्ते रूपयों की शख्त आवश्यकता होने के कारण रोकड़ी रूपया 150000/– अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मे दिनांक 26.07.2017 को दिलीपसिह पुत्र धर्मसिह जाति जाट निवासी महमदपुर तहसील सपोटरा वाले को विक्रय करकें कब्जा व अधिकार संभला दिया है। उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से 1/3 पर केता दिलीपसिह पुत्र धर्मसिह जाति जाट निवासी महमदपुर वाले को करवा दिया है तथा मुझ विकेता अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त आराजी मे से अपना हिस्सा 1/3 से कब्जा हटा लिया है प्रार्थीया चतुर चालाक किस्म की व्यक्ति है तथा मुझ अप्रार्थी को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत है। मुझ अप्रार्थी सं0 1 ने रजिस्टर्ड वयनामा अपने हिस्से का करा चुका हूँ तथा मुझ अप्रार्थी सं0 1 का मालिकाना हक दिलीपसिह पुत्र धर्मसिह जाति जाट निवासी महमदपुर वाले को निहित हो गये। प्रार्थीया को वयनामा का पता होने के कारण दिलीपसिह पुत्र धर्मसिह को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारजि होने योग्य है। अप्रार्थी 5 का कब्जा बाहमी बंटवारा अनुसार है। प्रार्थीया अपने हिस्से का बंटवारा अप्रार्थी सं0 5 से बाहमी बंटवारा अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार कराये। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र हैतुक गलत दर्ज किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारजि किया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम महमदपुर तहसील सपोटरा सम्बत् 2070–73 के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 विवादित आराजीयात के सहखातेदार दर्ज है किन्तु अप्रार्थी सं0 महेश पुत्र रामजीलाल जाति जोगी निवासी महमदपुर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 को अप्रार्थी सं0 5 दिलीपसिह पुत्र धर्मसिह जाति जाट निवासी महमदपुर को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान कर दिया है जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध है। अप्रार्थी सं0 1 ने विवादित भूमि अर्थात अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी है तथा सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार होता है ऐसी स्थिति मे सहखातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है ना ही प्रार्थीया को कोई असुविधा हुई है ना ही कोई अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थीया के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner